

FIJIAN ELECTIONS OFFICE
My Election, My Fiji

ELECTION INFORMATION BOOKLET

चुनाव जानकारी पुस्तिका

2018 General Election

FIJIAN ELECTIONS OFFICE

My Election, My Fiji

MISSION

Our mission is the professional and independent conduct of credible elections that enables every Fijian to participate in Fiji's democratic process.

VISION

Our vision is to be recognised as a leader in establishing best practices in the conduct of elections.

CORE VALUES

Right to vote

Every citizen over the age of eighteen has the right to vote

One person, one vote, one value

Every voter has one vote, with each vote being equal

Secrecy of the ballot

Every voter has the right to vote by secret ballot

A single National Register of Voters

Every registered voter shall be listed on a single National Register of Voters

Honesty, Integrity, and Transparency

The Fijian Elections Office values honesty, integrity and transparency in all its transactions

Independence and Impartiality

The Fijian Elections Office is an independent body and shows no preference in either speech or action for any individual candidate or political party

Professionalism

The Fijian Elections Office is a professional body that adheres to the highest standards of conduct and practice

Innovation

The Fijian Elections Office aspires to introduce the most innovative solutions and practices in delivering its functions



ELECTION INFORMATION BOOKLET

चुनाव जानकारी पुस्तिका

नाम:

मतदान स्थान:

This Booklet is developed by the Fijian Elections Office to guide Voters and help them understand the Electoral processes and how to vote, in Fiji. This Booklet is for information purposes only and is subject to change and review by the Fijian Elections Office, if any amendment is made to any electoral laws, policies and procedures of the Fijian Elections Office.

The Fijian Elections Office will not be liable for any misinterpretation of this Booklet.

Copyright © 2018 by Fijian Elections Office.

Fijian Elections Office 59/63 High Street, Toorak
Suva, Republic of Fiji.
Phone: (679) 331 6225
Email: info@feo.org.fj

ISBN: 978-982-9176-14-1

TABLE OF CONTENTS

Acronyms and Abbreviations	1
Glossary	2
Introduction	5
Registration	7
At the Voter Services Centre	5
Find Your Polling Venue	12
Methods of Voting	11
Persons with Disabilities	17
General Rules for Voters	18
Counting of Ballot Papers	18
Declaration of Results	22
Final National Results Tally	23
Allocation of Seats	23
Complaints	25
Frequently Asked Questions (FAQ's)	
Registration	26
Postal Voting	27
Pre-Poll Voting	27
Election Day	28
General Queries	29

Forms

- Objection to Registration as a Voter
- Appeal Against Decision of the Supervisor of Elections
- Postal Voting Application Form
- Complaint Form

1.0 ACRONYMS AND ABBREVIATIONS

APO	Assistant Presiding Officer
EC	Electoral Commission
FEO	Fijian Elections Office
PDW	Polling Day Worker
PO	Presiding Officer
PS	Polling Station
SoE	Supervisor of Elections
TEE	Tamper Evident Envelope
VL	Voter List
VQC	Venue Queue Controller

2.0 GLOSSARY

Ballot Paper	2014 एलैक्ट्रोल एक्ट द्वारा प्रैस्क्राइब किया गया वोट करने वाला पेपर
Discarded Ballot Paper	क. जो बेलट पेपर पोलिंग स्टेशन के जमीन पे हो मगर बेलट बॉक्स के अंदर न हो ख. वोटर द्वारा स्पीडिल किया गया बेलट पेपर
Election Day	इसे “पोलिंग डे” भी कहा जाता है। प्रेसिडेंट द्वारा रिट इशू होने पर इलेक्शन की सूचना दी जाती है।
Electoral Act 2014	लेजिस्लेशन जिससे जनरल इलेक्शन कॉडिक्ट होता है।
Indelible Ink	वोट करने के बाद वोटर की उंगली पर इससे निशान किया जाता है ताकि वो दोबारा वोट नहीं कर सके। इसे कई दिनों तक मिटा नहीं जा सकता है।
Invalid Ballot Paper	बेलट पेपर जिसमें: क. वोटर की कोई निशानी हो जिससे वोटर की पहचान हो सकती है ख. वोटर इंडिकेक्टड नहीं है; ग. वोटर का इंटेंशन क्लियर नहीं है कि वो किसे वोट देना चाहता है; या फिर घ. जिसमें एक से ज्यादा वोट इंडिकेट किया गया है।
NRV	नेशनल रेजिस्टा ओफ वोटर्स जिसमें सभी रेजिस्टड वोटर डिटेल्स होती है और पब्लिक इन्स्पेक्शन के लिए एक्जिल की जाती है।
PO's Record Book	प्रेसिडेंट ऑफिसर पोलिंग स्टेशन में होने वाली सभी एक्टिविटीस इस बुक में रेकोर्ड करता है। इसमें प्रोटोकॉल ऑफ रिजल्ट्स का वोकशीट भी दिया गया है।
Polling	पोलिंग डे पर वोट करना या पोस्टल या प्रि-पोल द्वारा वोट करना।
Polling Agent	जो व्यक्ति इन्डिपेनडेंट कनडिडेट या पोलिटिकल पार्टि द्वारा इलेक्ट्रोल प्रोसेस ओब्सर्व करने के लिए अपोइंट किया जाता है।

Polling Station	कोई बिल्डिंग या जगह जहाँ रेजिस्टर्ड वोटर्स वोट कर सकते हैं।
Presiding Officer	जो पोलिंग स्टेशन में होने वाले सभी काम को देखता है।
Proportional Representation	यह एक वोटिंग सिस्टम है जिसमें पार्टी को सीट्स वोट के हिसाब से दिया जाता है।
Protocol of Results	फॉर्म जिसमें हर एक पोलिंग स्टेशन में कैंडिडेट्स को दिए गए वोट्स रिकॉर्ड किया जाता है।
Reconciliation	काउंटिंग करने से पहले बैलट पेपर्स को प्रसिडिंग अफसर अकाउंट करता है।
Spoiled Ballot Paper	जो बैलट पेपर वोटर से खराब हो जाता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर वोटर को दोबारा बैलट पेपर इशू करता है।
Tamper Evident Envelope	यह एक प्लास्टिक एनवेलोप है जिसे कोई किसी भी तरह खोल नहीं सकता है (डिस्ट्रॉय करने के अलावा)।
Tendered Ballot Paper	बैलट पेपर उस वोटर को दिया जाता है जिसका नाम वोटर लिस्ट से क्रॉस ऑफ कर दिया जाता है लेकिन वोटर यह पूछ करता है कि उन्होंने वोट नहीं किया है। इन बैलट पेपर्स को एक एनवेलोप में डाला जाता है।
Unused Ballot Paper	बैलट पेपर जो वोटर को नहीं इशू किया गया है।
Used Ballot Paper	बैलट पेपर जो वोटर को इशू कर दिया गया है।
Valid Vote	वोटर का सही तरह मार्क किया गया बैलट पेपर जिससे पता चलता है कि वोटर किस कैंडिडेट को वोट देना चाहता है।
Voter List	यह एक लिस्ट ऑफ वोटर्स है जिससे यह पता चलता है कि वोटर्स किस पोलिंग स्टेशन में वोट करेंगे।
Voter Number	हर एक वोटर को दिया गया एक युनिक आइडेंटिफिकेशन नम्बर।
Voting Screen	यह एक कार्डबोर्ड से बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसमें वोटर्स सिक्वेक्टली वोट कर सकते हैं।



INTRODUCTION

3.0 INTRODUCTION

इलेक्ट्रोल कमिशन [EC] और फीजियन इलेक्शन ऑफिस [FEO] एक प्रभावी वोटर एजुकेशन प्रोग्राम चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह इलेक्शन इंफॉर्मेशन बुकलेट इस कार्यक्रम का एक भाग है।

यह आपको एलिजबल वोटर्स और रेजिस्टर्ड फीजियन वोटर्स - रेजिस्टर्ड वोटर्स कैसे बनते हैं वोटिंग प्रोसेस, काउंट ऑफ वेलट्स, रिजल्ट्स डिक्लरेशन, सीट अलोकेशन और कोम्प्लेंट्स मेकानिज्मस प्रदान करने के लिए बनाया गया है।

EC और FEO यह आशा करती है कि सभी फीजियन्स इस बुकलेट का लाभ उठाएँ ताकि उनकी वोट 2018 जेनरल इलेक्शन में मान्य रखें।



REGISTRATION

4.0 REGISTRATION

वोट करने से पहले आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। वोटर लिस्ट में आपको सभी फिजीन्यस की रजिस्ट्रेशन की जानकारी मिलेगी।

अगर आप रेजिस्टेड हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट में दिखेगा।

4.1 Who can register?


रेजिस्टर करने के लिए आपको:

- रिट इशू होने से पहले या रिट इशू होने के दिन, 18 साल या ज्यादा होना जरूरी है
- फिजी नागरिक होना जरूरी है
- 12 महीना या ज्यादा जेल में नहीं होना चाहिए
- अयोग्य वोटर घोषित नहीं किया गया हो।

4.2 What is required for registration?

- वेलिड बर्थ सर्टिफिकेट और
- वेलिड फोटो आई डी या फिर
- वेलिड फीजियन पासपोर्ट होना चाहिए

 BRITISH NORTH AMERICA DEATHS, DEATHS AND MARRIAGES REGISTRATION ACT		 Form No. 1
Registered by _____		
CHILD		
(1) Name	_____	
(2) Sex	(3) Date of Birth	_____
(4) Place of Birth	_____	
PARENTS		
(5) Date Married	(6) Place	_____
(7) Previous Name	(8) Date of Death	_____
(9) Cause of Death	_____	
FATHER		
(10) Name and Surname	_____	
(11) Occupation	_____	
(12) Date of Birth	(13) Place	_____
(14) K.P. Name	(15) Village (or Manse)	_____
(16) Education	(17) Married	_____
(18) Place	(19) Previous	_____
(20) Date of Death	(21) Cause of Death	_____
MOTHER		
(22) Name, maiden name and Surname	_____	
(23) Occupation	_____	
(24) Date of Birth	(25) Place of Birth	_____
(26) K.P. Name	(27) Village (or Manse)	_____
(28) Education	(29) Married	_____
(30) Place	(31) Previous	_____
(32) Date of Death	(33) Cause of Death	_____
POSTMORTAL		
(34) Name and Relationship (in full if any)	_____	
(35) Occupation	_____	
(36) Home Address	_____	
REGISTRATION		
(37) Date of Registration	_____	
(38) Place of Registration	_____	
(39) Authorisation	_____	





रेजिस्ट्रार करने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का उदाहरण

4.3 How do I register?

- अपने करीबी वोटर सेविसेस सेंटर जाएँ
- अपने सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ
- अपना रजिस्ट्रेशन आपको खुद ही करना पड़ेगा, आप किसी और के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं
- आप वोट करने के लिए सिर्फ एक ही बार रजिस्टर कर सकते हैं
- दोबारा रजिस्टर होना गैर कानूनी है।

4.4 What happens after I have registered?

जैसे आप रजिस्टर हो जाते हैं आपको आप का वोटर कार्ड दिया जाएगा। वोट करने के लिए वोटर कार्ड प्रिजेंट करना जरूरी है।

4.5 Replacement of VoterCard

अगर आपका वोटर कार्ड:

1. चोरी;
2. लापता;
3. या खराब

हो गया है तो अपनी नज़दीकी वोटर सेविसेस सेंटर से रिप्लेसमेंट के लिए जाएँ।


4.6 Updating of Voter Details

आप अपना वोटर डेटेल्स अपडेट कर सकते हैं अगर

1. आपको उसमें कुछ गलतियाँ दिखती हैं; या
2. आपको अपना डिटेल्स चेंज करना है

वोटर डिटेल्स अपडेट करने के लिए अपने नज़दीकी वोटर सेविसेस सेंटर जाएँ।

रेजिस्टर करने के बाद आपको आपका वोटर कार्ड मिलेगा।
 वोटर कार्ड 1.0 और वोटर कार्ड 2.0, 2018 जेनरल इलेक्शन के लिए वैलिड है।



REPUBLIC OF FIJI
VOTER IDENTIFICATION CARD

Voter No.

First Names

Surname


Birth Date

Address

Division

VALID

या



REPUBLIC OF FIJI
VOTER IDENTIFICATION CARD

FVR No.

First Names:

Surname:

Birth date:

Address:

Division:

Date of Issue:

www.feo.org.fj

VALID

4.7 Objection to Registration as a Voter

कोई भी रेजिस्टर्ड वोटर- जिसका नाम नेशनल रेजिस्टर ऑफ वोटरस् में है, नीचे दिए गए ओब्जेक्शन्स के तौर पर किसी और रेजिस्टर्ड वोटर के खिलाफ ओब्जेक्ट कर सकता है।

- 18 साल का नहीं हुआ है
- फीजी सीटिज़न नहीं है
- 12 साल या ज्यादा प्रिज़न में है
- उनका मेंटल डिस्ऑर्डर डिक्लेयर हो चुका है

रिट इशू होने तक ही ओब्जेक्शन प्रोसेस ओपन है, ओब्जेक्ट करने के लिए आपको 'ओब्जेक्शन टू रेजिस्ट्रेशन एस आ वोटर' फॉर्म फील कर के अपने नज़दीकी वोटर सेविसेस सेंटर में सबमिट करें। फॉर्म की कोपी इस बुकलेट में दी गई है। इस फॉर्म को FEO वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है: <https://www.feo.org.fj/wp-content/uploads/2017/09/OBJECTION-FORM.pdf>



NOTE: अगर आपका रेजिस्ट्रेशन ओब्जेक्ट हो कर **SOE** से अप्रूव हो जाता है तो आप इसे **EC** से 14 दिनों के अन्दर अपील कर सकते हैं।

4.8 Deceased Voters

आप किसी भी डिसिस्ड वोटर की सूचना **FEO** को वेरिफिकेशन के लिए दे सकते हैं।

आप डिसिस्ड वोटर वेरिफिकेशन लिस्ट को www.feo.org.fj से ले सकते हैं। डिसिस्ड वोटर की सूचना हमें: <https://www.feo.org.fj/wp-content/uploads/2017/09/Confirmation-Deceased-Voter.pdf> फॉर्म द्वारा दे सकते हैं ।



NOTE: किसी भी मृत्यु व्यक्ति की जानकारी देने के लिए आपको अपना वैलिड फोटो आई डी लाना पड़ेगा

5.0 AT THE VOTER SERVICES CENTRE

वोटर सेविस्स सेन्टर में आप:

- रेजिस्टर कर सकते हैं
- अपना रेजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेक, वेरिफाए, अमेन्ड और कन्फर्म कर सकते हैं
- अपना वोटर कार्ड रिप्लेस कर सकते हैं
- अपने घर के किसी गुजरे हुए सदस्य के बारे में हमें सूचित कर सकते हैं
- अपना पोलिंग वेन्यू बदल सकते हैं।

5.1 Voter Services Centres

Voter Services Centre	Location
Suva	Shop 10, GPO Building, Thomson Street, Suva.
Lautoka	36 Vitogo Parade, Lautoka.
Labasa	Legal Aid Commission Building, Old Court House, Jaduram Street, Labasa
Nausori	River Road, Nausori.
Savusavu	Lot 33, Main Street, Savusavu.
Rakiraki	Vaileka St, Rakiraki.
Nadi	Shop 5, WestPoint Arcade, Nadi.

6.0 FIND YOUR POLLING VENUE

FIND YOUR POLLING VENUE



1500

*Free Service

*Works on all networks

STEP 1

Text your
Voter Registration
Number to
1500.

STEP 2

You will receive
a text message
confirming your
Polling Venue.

6.1 Be a Prepared Voter



तैयार वोटर बनने के लिए


- अपना वोटर कार्ड लाएँ
- पोलिंग वेन्यू में जल्द आएँ
- यदि मौसम खराब है, तो आप एक छाता ला सकते हैं
- पानी की बोतल भी लाएँ
- अपना पोलिंग वेन्यू जानिए
- यदि आप उपर दिए गए सभी कर चुके हैं, तो एक और वोटर की सहायता करें

7.0 VOTING METHODS

7.1 Election Day

पोलिंग 7:30am शुरू होगा और 6:00pm बजे लास्ट वोटर के वोट करने के बाद बन्द होगा।

यह एक स्टैंडर्ड
पोलिंग स्टेशन का
सेट-अप है



Be a Prepared Voter Election Day Voting Steps

STEP 1: Venue Queue Control

पोलिंग वेन्यू पर आते ही, वेन्यू क्यू कंट्रोलर आपको पोलिंग स्टेशन की ओर जाने की इजाजत देगा



STEP 2: Inside Queue Control

पोलिंग स्टेशन में एंटर करने के बाद, इनसाइड क्यू कंट्रोलर आपकी उँगलियों में किसी तरह की निशान चेक कर के आपको वोटर ईसट्रक्शन बुकलेट देगा। अब आप अइ-डी ऑफिसर के पास जाएँ



STEP 3: Identification

अइ-डी ऑफिसर को अपने वोटर कार्ड दिखाएँ। अइ डी आपका नाम चेक करने के बाद उसे वोटर लिस्ट में से कोस ऑफ कर देगा



STEP 4: Signature

आपको वोटर लिस्ट के "सिग्नेचर कोलम" में साइन करना पड़ेगा। अब आपको आपका बेलट पेपर मिलेगा।

**STEP 5: Ballot Paper Issuing**

बेलट पेपर इशूअर आपको एक ही बेलट पेपर देगा। वो आपको बेलट पेपर मार्क करने का मेथड बताएगा। अब आप वोटिंग स्क्रीन की ओर जाएं।

**STEP 6: Ballot Paper Marking**

वोटिंग स्क्रीन पर पहुँचते ही, अपना वोटर इंड्रक्शन बुकलेट की मदद से, अपना चोसन केनडिडेट को वोट करें। बेलट पेपर में केवल एक ही केनडिडेट नम्बर को सेर्किल या टिक या क्रोस करें। बेलट पेपर को चार बार फोल्ड करने के बाद ईंकर के पास जाएँ।

**STEP 7: Inking**

ईंकर लेफ्ट हैंड की इंडैक्स फिंगर को ईंक की बोतल में डुबो कर मार्क करेगा। अब आप बेलट बॉक्स की ओर जाएँ।

**STEP 8: Placing Ballot Paper in Ballot Box**

अपने बेलट पेपर को बेलट बॉक्स में डालें।

**STEP 9: Leaving Polling Station and Polling Venue**

अब आप पोलिंग स्टेशन और पोलिंग वेन्यू से जा सकते हैं।



7.2 Pre- Poll Voting

EC द्वारा अप्रूव किया गया नीचे दिए गए लोग ही प्रि-पोल वोटिंग कर सकते हैं:

- जो लोग भीतरी इलाके में रहते हैं
- नर्सिंग होम या हेल्थ केयर फेसिलिटीस के रेसिडेंट्स हैं
- डिस्पेंसरी फोर्सस के मेम्बर्स हैं
- जो प्रि-ट्राइल डिटेन्शन या सेन्टेन्स ऑफ इमप्रिज़मेन्ट में हैं ।

प्रि-पोल लोकेशन की लिस्ट आपको <https://goo.gl/6dQXss> में मिलेगा।

SoE द्वारा या सुनिश्चित किया जाएगा कि वेलट पेपर्स को सभी जगहों पर ले जाया जाएगा जहाँ प्रि-पोल वोटिंग किया जाएगा।



NOTE: प्रि-पोल वेलट पेपर्स नेशनल काउंट सेंटर में काउंट किया जाएगा।

Pre-Poll Voting Steps

STEP 1: Inside Queue Control

जैसे ही आप पोलिंग स्टेशन एन्टर करेंगे वहाँ का इन्साइड क्यू कंट्रोलर आपकी उँगलियों में किसी भी चीज़ की निशान चेक करेगा। चेक करने के बाद वो आपको वोटर इन्स्ट्रक्शन बुकलेट देगा। अब अइ-डी ऑफिसर के पास जाएँ



STEP 2 : Identification

अइ डी ऑफिसर को अपना वोटर कार्ड या कोई भी वैलिड फोटो आई डी दे। आई डी ऑफिसर अब आपका नाम वोटर लिस्ट में देख कर एक लाइन खींच देगा।



STEP 3 : Signature

सिग्नेचर कोलम में आप साइन करे और बेलट पेपर इशूवर के पास जाएँ।

**STEP 4: Issuing the Ballot Paper and Secret Envelope**

बेलट पेपर इशूवर आपको बेलट मार्किंग मेथड बताएगा और सिक्रेट एन्वेलोप में डालने का प्रोसिजर बताएगा। बेलट पेपर को बेलट बॉक्स में डालने से पहले उसे सिक्रेट एन्वेलोप में डालें। आपको सिर्फ एक बेलट पेपर और सिक्रेट एन्वेलोप दिया जाएगा। अब आप वोटिंग स्क्रीन की ओर जाएँ।

**STEP 5: Marking the Ballot Paper**

वोटिंग स्क्रीन के पास, वोटर इंस्ट्रक्शन बुकलेट में से अपने पसंद के कैंडिडेट को चुनें और सकिल या टिक या क्रॉस करें।

**STEP 6: Placing of Ballot Paper into the Secret Envelope**

याद रहे बेलट पेपर को ही मार्क करना है। अपने बेलट पेपर को फोल्ड करें और सीकोट एन्वेलोप में डालें। अब आप ईंकर के पास जा सकते हैं।

**STEP 7: Inking**

ईंकर आपके लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर या छोटी फिंगर को ईंक में डालेगा। अब आप बेलट बॉक्स की ओर जाएँ।

**STEP 8: Taping the opening of the Secret Envelope**

बेलट बॉक्स गाई आपके सिक्रेट एन्वेलोप की ओपनिंग को स्पेशल टैप से सील करने के बाद आपको अपना सिक्रेट एन्वेलोप को बेलट बॉक्स में डालने की अनुमति देगा।

**STEP 9: Leaving the Polling Venue**

अब आप पोलिंग वेन्यू से जा सकते हैं।



7.3 Postal Voting

पोस्टल वोटिंग करने के लिए कौन अप्लाई कर सकता है?


पोस्टल वोटिंग करने के लिए सभी रजिस्टर्ड वोटर्स नीचे दिए गए काइटेरिया को फोलो करना पड़ेगा:

- ओवरसीस काँउट्री में रिसाइड करना;
- अप्लीकेंट की रिलीजियस बीलिफ्स / वर्क कमीटमेंट या बीमारी के कारण पोलिंग स्टेशन नहीं जा पाना
- अप्लीकेंट पि-ट्राइल डिटेन्शन या सेन्टेन्स ऑफ इमप्रिज़मेन्ट में है

पोस्टल वोटिंग करने के लिए हमारे वेबसाइट पर दिए गए पोस्टल वोटिंग अप्लीकेशन फॉर्म को फील करें: <https://www.feo.org.fj/wp-content/uploads/2018/02/POSTAL-VOTING-APPLICATION-FORM-2.pdf>. इस फॉर्म की कोपी आपको इस बुकलेट में मिलेगा.


FEO पोस्टल वोटिंग अप्लीकेशन को इलेक्शन की डेट अनाउंस होने पर रिसीव करेगा और अप्लीकेशन टवेन्टी वन डेस (21) बाद बन्द होगा.

पोस्टल वोटिंग पैकज



Voting Steps - Postal Voting

FEO द्वारा आपको पोस्टल वोटिंग पैकज मिलेगा।



पोस्टल वोटिंग पैकज के अन्दर आपको वोटर ईस्ट्रक्शन बुकलेट, एक बेलट पेपर, सिक्रेट एन्वेलोप, ट्रान्समिशन एन्वेलोप और रिटर्न एन्वेलोप मिलेगा।



वोटर ईस्ट्रक्शन बुकलेट की मदद से अपनी पसंद की केनडिडेट को वोट करें



अपनी चोइस के केनडिडेट नम्बर को सर्किल, या टिक या कोस करें



वोटिंग करने के बाद, बेलट पेपर को फोल्ड कर के सिक्रेट एन्वेलोप में डालें




एन्वेलोप को सील कर के, ट्रान्समिशन एन्वेलोप में डालें



ट्रांसमिशन एन्वेलोप के पीछे दिए गए डिक्लरेशन फॉर्म को साइन करें



ट्रांसमिशन एन्वेलोप को रिटर्न एन्वेलोप में डाल कर कूरियर के जरिए एन्वेलोप में लिखे गए पते पर भेजें



NOTE: पोस्टल बेलट पेपर्स नेशनल काउंट सेंटर में काउंट किए जाएंगे

7.4 बेलट पेपर मार्क करने का उदाहरण



CIRCLE

OR



TICK

OR



CROSS

8.0 PERSONS WITH DISABILITIES

उन लोगों को शामिल करता है जिनको शारीरिक, मानसिक बौद्धिक या संवेदिक अक्षमताएँ हैं और जिन्हें दूसरों के साथ बातचीत करने में विभिन्न बाधाएँ पहुँचती हैं। इन सभी कारणों से उनको समाज में इक्वली भाग लेने के लिए बाधाएँ होती हैं।

प्रिसाइडिंग ऑफिसर पोलिंग स्टेशन में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो कि किसी भी पोलिंग स्टेशन में फिजिकली डिस-एबल वोटर्स को असिस्ट करने के लिए अथोराइज़्ड है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर उनके लिए बेलट पेपर भी मार्क कर सकते हैं।


9.0 GENERAL RULES FOR VOTERS

नीचे दिए गए रूल्स को फोलो करें:

- हरेक वोटर सिर्फ वही पोलिंग स्टेशन में वोट कर सकता है जहाँ उनका नाम वोटर लिस्ट में है
- लाइन में खड़े होने के लिए बूढ़े लोग जो डिसेबल हैं और गर्भवती महिलाओं को पहला मौका दिया जाएगा
- हर एक वोटर को अपना बेलट पेपर गुप्त में यानि सिक्रेटली मार्क करना है
- वोट करने के बाद वोटर अपना चोइस ओफ कैंडिडेट किसी के सामने ज़ोर से नहीं अनाउंस कर सकता है
- बेलट पेपर को बेलट बॉक्स में डालने के बाद वोटर को तुरन्त पोलिंग वेन्यू से जाना होगा

10.0 COUNTING OF BALLOT PAPERS

इलेक्शन डे पर पोल बन्द होने के बाद ही, हर एक पोलिंग स्टेशन की बेलट पेपर काउंट होगा। पोस्टल बेलट पेपर्स और प्री-पोल बेलट पेपर्स, SoE के बताए हुवे टाइम और डेट पर, नेशनल काउंट सेंटर में काउंट होगा।



10.1 Counting Process

STEP 1:

पोलिंग स्टेशन में सभी बेलट पेपर्स का रिकॉंसिलिएशन

वोटर लिस्ट में नम्बर ऑफ वोट्स सिग्नेचर्स + अनयूस्ड बेलट पेपर्स + स्पोइलड बेलट पेपर्स
पोलिंग स्टेशन में रिसीव किए गए टोटल नम्बर ऑफ बेलट पेपर्स

3.5 - Protocol of Results (Reconciliation)

TABLE 1: Receipt and Distribution of Ballot Papers

		TOTAL
A.	Number of ballot papers received from FEO (as shown in section 1.1 of the PO's Record Book)	100
B.	Adjustments after your check count (N.B. ballot papers must be check counted prior to polling day)	+ 0 -
C.	PLUS ballot papers RECEIVED from (if applicable)	+ 0 -
D.	TOTAL (A + B + C)	100

TABLE 2: Reconciliation of Ballot Papers (complete this table after the close of Poll)

	Description	TOTAL
E.	Number of voter signatures on Voter List	90
F.	Number of unused ballot papers	9
G.	Number of spoiled ballot papers	1
H.	Number of tendered ballot papers	0
I.	TOTAL (E + F + G + H)	100
J.	Difference between (D – I) (if there is a difference you will need to recount)	0

STEP 2:

बेलट बॉक्स की फाइव सील्स को चैक और वेरिफाई किया जाएगा। बेलट बॉक्स तभी खुलेगा जब सब सील रिकॉंसाइल होगा।

अगर बेलट बॉक्स सील्स में किसी भी तरह की डिस्क्रीपन्सी दिखेगी तो बेलट बॉक्स को नहीं खोला जाएगा और उसे क्वारन्टीड डिक्लेयर कर दिया जाएगा।



NOTE: सिर्फ SoE या FEO स्टाफ डिस्कण्सी किया गया बेलट बॉक्स सील्स को खोल सकता है


STEP 3:

वोटर लिस्ट में टोटल सिग्नेचर्स के मुताबिक बेलट बॉक्स से बेलट पेपर्स का रिक्वांसिलिएशन होगा।



NOTE: यदि बेलट पेपर रि-क्वांसिलिएशन में किसी भी तरह की डिस्कण्सी है तो बेलट पेपर्स को रि-काउंट किया जाएगा

बेलट पेपर्स काउंट करने से पहले, बेलट पेपर्स को अनफोल्ड किया जाएगा और इच केर्न डडइट नम्बर के मुताबिक उसे कोलम रैंज में सेट किया जाएगा। इच कोलम रैंज के बेलट पेपर्स को काउंट किया जाएगा। इनवैलिड वोट्स को भी काउंट किया जाएगा। इच कोलम को टोटल करने के बाद उसे वोटर लिस्ट की टोटल सिग्नेचर से रिकॉसाइल किया जाएगा।



STEP 5:

कोलम बाय कोलम कैंडिडेट नम्बर्स के मुताबिक पेपर्स को सोर्ट किया जाएगा। हर एक कैंडिडेट की बेलट पेपर की काउंटिंग होगी। रिज़ल्ट्स को रिकार्ड बुक में प्रोटोकॉल ऑफ रिज़ल्ट्स वक़्शीट पर एंट्र किया जाएगा।



12.0 FINAL NATIONAL RESULTS TALLY

जैसे ही रिज़ल्ट्स सभी पोलिंग स्टेशन और नेशनल काउंट सेन्टर से मिल जाता है रिज़ल्ट्स सेन्टर फाइनल नेशनल रिज़ल्ट्स टैली तैयार करता है जो SoE साइन ऑफ करते हैं।

SoE फाइनल नेशनल रिज़ल्ट्स टैली EC को सीट अलोकेशन के लिए हैंड-ओवर करते हैं।

13.0 SEAT ALLOCATION

EC को SoE द्वारा फाइनल नेशनल रिज़ल्ट्स दिया जाएगा। फाइनल नेशनल रिज़ल्ट्स टैली में:

- i. टोटल नम्बर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय इच कैंडिडेट होगा;
- ii. टोटल नम्बर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय इच पोलिटिकल पार्टी होगा;
- iii. पार्टी लिस्ट ज्यादा से ले कर कम वोट्स रिसीव किए गए कैंडिडेट्स के नाम लिस्ट में दिखेगा

हर एक कैंडिडेट का टोटल नम्बर ऑफ वोट्स कैलकुलेट किया जाएगा और फिर 5% थ्रेशोल्ड अप्लाई किया जाएगा।

जिन पोलिटिकल पार्टी यह इंडिपेन्डेंट कैंडिडेट को 5% ऑफ टोटल वोट्स नहीं मिलता है उन्हें पार्लियामेंट में से कोई सीट नहीं मिलेगा। EC डिटाइन करता है कि कौन सी पार्टी कैंडिडेट को पार्लियामेंट का 51सीट मिलेगा।

FOR MORE INFORMATION VISIT:

 www.feo.org.fj



FOR MORE INFORMATION ON ELECTORAL COMMISSION VISIT:

 www.electoralcommission.org.fj



14.0 COMPLAINTS

अगर कोई रजिस्टर्ड वोटर किसी इलेक्शन ऑफिशल्स से खुश नहीं है तो वो EC से एक कोम्प्लेंट लोज कर सकता है।

कोम्प्लेंट्स लोज करने के लिए आपको “*Complaints Form*” कोम्पलीट करना पड़ेगा। यह फॉर्म आपको इलेक्शन डेय पर प्रिंसाइडिंग ऑफिसर से मिल सकता है या www.feo.org.fj से डाउनलोड कर सकते हैं। इस बुकलेट में भी आपको कोम्प्लेंट्स फॉर्म मिलेगा।

सभी कोम्प्लेंट्स नीचे दिए गए पते पर भेजिए

HAND DELIVERED

Supervisor of Elections
Fijian Elections Office
59/63 High Street
Toorak
Suva

POST MAIL

Supervisor of Elections
Fijian Elections Office
PO Box 2528
Government Buildings
Suva

EMAIL

info@feo.org.fj

15.0 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS:

REGISTRATION:

क्या मुझे 2018 जनरल इलेक्शन के लिए फिर से रजिस्टर होना पड़ेगा?

आपको फिर से रजिस्टर नहीं होना पड़ेगा। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपका वोटर कार्ड नेक्स्ट जनरल इलेक्शन के लिए वैलिड है। लेकिन अगर आपका नाम और एड्रेस बदल गया है तो आप अपने नज़दीकी FEO ऑफिस जा कर फॉर्मस फिल कर के अपना डिटेल्स चेंज कर सकते हैं।

क्या मैं अपनी बेटी का वोटर कार्ड ले सकती हूँ?

कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का वोटर कार्ड नहीं ले सकता है। FEO वोटर कार्ड देने से पहले हर एक वोटर को वेरिफाई करेगा।

पिछले जनरल इलेक्शन में मैंने कोरोवोड में वोट किया अब मैं लेवूका में रहने लगा हूँ। क्या मैं अपने नज़दीकी पोलिंग स्टेशन में वोट कर सकता हूँ?

नहीं। आप को 'चेंज ऑफ एड्रेस' फॉर्म फील कर के अपने नज़दीकी वोटर सेविस सेंटर में ले जा कर अपना डिटेल्स अपडेट करना होगा।

POSTAL VOTING

पोस्टल वोटिंग कब ओपन और क्लोज़ होगा?

इलेक्शन डेट अनाउंस होने पर, रजिस्टर्ड वोटर्स पोस्टल वोटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन इलेक्शन डेय से 21 डेय्स पहले 5:00pm FEO पहुँच जाना चाहिए। लैट अप्लीकेशन को असेप्ट नहीं किया जाएगा।

रजिस्टर ऑफ पोस्टल वोटर्स क्या है?

यह एक रजिस्टर है जिसमें सभी रजिस्टर्ड पोस्टल वोटर्स का नाम और वोटर नम्बर्स लिखा होता है।

क्या कोई कैंडिडेट या पोलिटिकल पार्टी 'रजिस्ट्रार ऑफ पोस्टल वोटर्स' की कोपी ले सकता है?

जी हाँ, कोई भी कैंडिडेट या पोलिटिकल पार्टी एक फी पेय करने के बाद 'रजिस्ट्रार ऑफ पोस्टल वोटर्स' ले सकते हैं।

पोस्टल बेलट पेपर की वैरिफिकेशन कब स्टार्ट होता है?

रेजिस्टर्ड पोस्टल बेलट पेपर्स की वैरिफिकेशन, इलैक्शन डे से सात श्रभत्त दिन पहले शुरू होगा। पोलिंग के बन्द होने के बाद नेशनल काउंट सेन्टर में पोस्टल बेलट्स की काउंटिंग होगी।

पोस्टल बेलट पैपर्स को कब गिना जाएगा?

पोलिंग के बन्द होने के बाद नेशनल काउंट सेन्टर में पोस्टल बेलट्स की काउंटिंग होगी

PRE-POLL VOTING

क्या प्रि-पोल वोटिंग के लिए कोई स्टैंडर्ड पोलिंग वेन्यू सेट-अप हैं?

सेट-अप लैआउट पोलिंग वेन्यू पर डिपेन्ड करता है।

प्रि-पोल वोटिंग कौन ओब्सर्व कर सकता है?

FEOसे अउथोराइजेशन लिए हुए कोई भी पोलिंग एजेंट, अक्रीडेटड ओब्सर्वर प्रि-पोल वोटिंग प्रोसेस ओब्सर्व कर सकता है।

प्रि-पोल वोटिंग ओर इलेक्शन डे वोटिंग में क्या डिफरेंस है?

सभी प्रोसेस सैम है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि प्रि-पोल वोटिंग में बेलट पेपर को बेलट बॉक्स में डालने से पहले एक सिक्कोट एन्वेलोप में रखा जाता है, जबकि इलैक्शन डे में बेलट पेपर को सीधे बेलट बॉक्स में डाला जाता है।

प्रि-पोल वोट्स कब गिना जाएगा?

पोल बन्द होने के बाद, नेशनल काउंट सेन्टर में होगा।

ELECTION DAY

अगर वोटर की उँगली पर पहले से ही इनडेलीब्ल इंक का निशान हो तो?

उससे यह पता चलता है कि वोटर ने वोट कर लिया है और उसे बेलट पेपर नहीं दिया जाएगा

क्या होगा अगर कोई वोटर अपने बेलट पेपर की काँटेंट को पोलिंग स्टेशन में ज़ोर से अनाउंस कर देता है?

अगर कोई यह काम करता है तो प्रिसाइडिंग ओफिसर उस बेलट पेपर को बेलट बॉक्स में डालने की पर्मिशन नहीं देता है और उसे कॉन्फिस्केट कर के इनवेलिड कर देता है

क्या होगा अगर वोटर ने वोट नहीं किया पर उसका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है?

अगर वोटर साबित करता है की उसने वोट नहीं किया है तो उसे एक बैलट पेपर दिया जाएगा। हालांकि उसका वोट बैलट बॉक्स में नहीं डाला जाएगा और "टेन्डड बैलट पेपर्स" वाला एनवेलप में डाला जाएगा और काउंट भी नहीं किया जाएगा।

अगर वोटर ने मिस्टैक से अपने बैलट पेपर को स्पोइल कर दिया है और प्रिंसाइडिंग ऑफिसर उसे रीड नहीं कर सकता है तो उसे दोबारा बैलट पेपर मिलता है। स्पोइलड बैलट पेपर को वोटर के सामने प्रिंसाइडिंग ऑफिसर 'Cancelled' स्टैम्प कर के अपना इनीशिल्स लिखेगा और 'Spoiled Ballot Paper' एनवेलोप में सील कर देगा।

GENERAL QUERIES

कैंडिडेट नोमिनेशन्स कब ओपन होगा?

जैसे ही EC को जनरल इलेक्शन का रिट मिलता है

रेजिस्ट्रेशन ऑफ पोलिटिकल पार्टीस कब क्लोज़ होगा? रिट इशू होने पर क्लोज़ होता है

और रिट रिटर्न होने पर ओपन

नेशनल कैंडिडेट्स लिस्ट कब प्रिपेयर होता है?

नोमिनेशन के बन्द होने के सात (7) दिन बाद नेशनल कैंडिडेट लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगा

कैंडिडेट्स को उनका तीन (3) डिजिट नम्बर कब मिलेगा?

कैंडिडेट बोल ड्रो होने के बाद ही उनको उनका तीन डिजिट नम्बर मिलेगा

रिट क्या है?

पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट का दिया हुआ डोक्यूमेंट को रिट कहते हैं जिसमें लिखा होता है कि इलेक्शन कब होना चाहिए।

पार्टीस कैम्पेनिंग कब स्टार्ट कर सकते हैं?

जैसे ही पार्टी रजिस्टर हो जाता है तो वो कैम्पेइन स्टार्ट कर सकते हैं।

FIJIAN ELECTIONS OFFICE

59 - 63 High Street, Toorak
P.O. Box 2528, Government Buildings, Suva

Phone : 3316 225
Fax : 3316 026

www.feo.org.fj

OBJECTION TO REGISTRATION AS A VOTER

To the Supervisor of Elections

DETAILS OF OBJECTOR

EVR Number: _____ Date of Birth: _____
Surname: _____ First Name: _____
Current Occupation: _____ Telephone/ Mobile: _____ Email: _____

Residential Address: <i>[This part is compulsory]</i>	Postal Address

DETAILS OF PERSON OBJECTED TO:

EVR Number: _____
Surname: _____ First Name: _____

GROUND(S) FOR OBJECTION

Please indicate below your grounds for objection:

- ☐ Has not reached the age of eighteen (18) years OR;
☐ Is not a citizen of Fiji; OR
☐ Serving a sentence of imprisonment of twelve (12) months or longer imposed by a court in Fiji or by a court of another country;
OR
☐ Under a law in force in Fiji, declared to have mental disorder

DECLARATION BY OBJECTOR

I solemnly declare that I have made a conscientious effort to determine that those facts above are true to the best of my knowledge and belief.

Warning - Section 136(a) of the Electoral Act 2014:

Any person who knowingly and wilfully makes a statement or declaration in connection with an application for registration as a voter or other statement or declaration for the purpose of the Electoral Act 2014 commits an offence and shall be liable upon conviction to a fine not exceeding \$50,000 or to a term of imprisonment not exceeding 10 year, or both.

Signature of Objector: _____ Date: _____
Witness: _____ Date: _____

Note: This form must be witnessed by either a Justice of Peace or Commissioner for Oath.

For Official Use Only

Received by: _____ Date Received: _____
Receivers Signature: _____

This Section is for the SoE

Actions Taken: ☐ Dismissed ☐ Upheld

Signature: _____ Date: _____

(Tear Along The Perforated Line)

(Tear Along The Perforated Line)

FIJIAN ELECTIONS OFFICE

59 - 63 High Street, Toorak
P. O. Box 2528, Government Buildings, Suva

Phone : 3316 225
Fax : 3316 026

www.feo.org.fj

PP-40-App

POSTAL VOTING APPLICATION FORM

Initial Instructions

- Use a tick (✓) where appropriate
- Use Black or Blue pen ONLY
- Use BLOCK LETTERS to complete form

FEO Date Stamp:

FOR OFFICIAL USE ONLY

Form Complete

Yes / No

Approved

Yes / No

Rejected - Incomplete / Not legally compliant

Rejection letter sent

Date:

Time

PVID #

1.0 Applicants Details: Mr. ☐ Mrs. ☐ Ms. ☐ (Name as shown on your VoterCard)

Family Name:					
Given Name (s):					
Phone: <small>Country Code:</small>		Mobile:		Email:	
VoterCard Number:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

2.0 Address Details:

Delivery/ Residential Address: (Your Postal Vote will be hand delivered/courier to this address see over side for instructions) Postal Code	Correspondence/ Postal Address: (For receiving letter of correspondence from FEO)
---	--

3.0 I am applying for Postal Voting because:-

- ☐ I am living outside of Fiji or will be outside of Fiji on the polling day;
- ☐ I have a serious illness or infirmity and I am unable to travel from my place of living to my assigned polling station;
- ☐ I am under pre-trial detention or sentence of imprisonment;
- ☐ Due to my religious beliefs or membership of a religious order, I am precluded from attending a polling station or for the greater part of the hours of polling I am precluded from attending a polling station; or
- ☐ I will be away from my usual place of residence and in a place not convenient to my assigned polling station due to work commitments on the polling day.

4.0 Statutory Declaration

I Solemnly declare that the information provided herein is true to the best of my knowledge and belief.

Declared at this day of20..... before me and I certify that the declaration was read over in the language to the declarant who appeared fully to understand the meaning thereof.

Signature of Witness and Stamp

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Fijian Election Official | <input type="checkbox"/> Notary Public |
| <input type="checkbox"/> Lawyer / Commissioner for Oaths | <input type="checkbox"/> Fiji Police Force Officer |
| <input type="checkbox"/> Justice of the Peace | <input type="checkbox"/> Fiji Missions Civil Servants |

Your Signature or thumbprint

(Tear Along The Perforated Line)

HOW TO FILL IN THE POSTAL VOTING APPLICATION FORM?

When filling in the form:

- Use a tick where appropriate
- Use a blue or black pen only
- Use BLOCK LETTERS to complete the form

1.0 Applicant Details:

- Write down your name as shown in the Voter Card
- If you are residing overseas, ensure that you fill in the correct **Phone Country Code** , mobile number and email address
- Ensure that you fill in your Voter Card number correctly.

2.0 Address Details:

- **Delivery Address -**
It's important that you fill the correct home address in this section. Fill in the correct Street Name, and house number. Your Postal Voting package will be hand delivered to you on the address that you highlight in this section. **Ensure that your Postal code or area code is correct.**
- **Correspondence -**
Due to time limitation for those residing overseas, we would recommend that you fill in an address that will ensure that you receive your letter of correspondence from FEO notifying you of whether your application has been approved or not. If not, you have to amend changes needed and the time span used for the correspondence to from you to FEO and back.

3.0 I am applying for Postal Voting because: -

- Indicate your reasons for applying. Tick the appropriate box provided.

4.0 Statutory Declaration: Ensure that this section of the Postal Voting Application Form is filled out in the presence of a witness as indicated on the form and ensure that its signed and stamped.

You can email your completed Postal Voting Application Form to: postalvote@feo.org.fj.

If you seek clarifications, do not hesitate to contact us on email: info@feo.org.fj or via our Facebook page: Fijian Elections Office or www.fijielects2018.com.fj or call 3316 225.

Voter Check List

Attach a copy of your Voter Identification Card **ONLY**

☐

Witness stamp visible

☐

FIJIAN ELECTIONS OFFICE

59 - 63 High Street, Toorak
P. O. Box 2528, Government Buildings, Suva

Phone : 3316 225

Fax : 3316 026

www.feo.org.fj

COMPLAINT FORM

Fill in ALL information below. Do not leave blanks. See instructions to fill out form (on back).

Type of Complaint: (Tick one)

☐

Voter Registration

☐

Registration of Political Parties

☐

Campaign

☐

Postal Voting

☐

Pre-Polling

☐

Counting

☐

Polling Day

Where did you submit this complaint?

Date submitted:

Are you submitting this complaint on behalf of a Candidate? (Circle one) YES / NO

If YES, provide candidate's name:

Are you a Polling Agent? (Circle One) YES / NO

Complainant: Who is submitting Complaint?

Name:

Address:

Phone No.: Are you? (Circle One): FEMALE / MALE Voter No:

Details of Complaint:

Date and time of incident:

Location of Incident or Allegation:

Describe Incident or Allegations in Detail (attach additional page if more space is required):

Are there witnesses to the incident? (Circle One) YES / NO

If YES, what is their name and contact number?

Do you have any information or evidence to provide? (Circle One) YES / NO

If YES, please attach description with this form.

Affirmation: By submitting this form, you agree that the information and allegations you wrote on this form to be accurate and you reasonably believe that a violation of any of these Acts: Electoral Act 2014, Political Parties Act 2013 and Electoral (Voter Registration) Act 2012 has occurred.

.....
Print Name of Complainant

.....
Print Name of Witness

.....
Witness's Signature

Complainant's Signature: Date:

(Tear Along The Perforated Line)

COMPLAINT FORM INSTRUCTIONS

A Complaint Form may be used during the Fijian Elections. This form may be submitted to the Fijian Elections Officer ["FEO"] or the Presiding Officer ["PO"] at the Polling Venues.

This form may only be submitted by those Complainants if:

- The PO refuses to recognize or address any substantial breach; or
- You reasonably believe that a violation of the Electoral Act or other laws has occurred during the voter registration, political party registration, campaign, postal voting, pre-polling, polling or count.

NOTE: ALL complaints relating to election results must follow the process pursuant to section 99 of the Electoral Act 2014. This form is NOT used for that process.

Complainants may submit this form to the PO at the polling venue or to the FEO. It is important that all the information you provide is accurate and that you are not filing a false claim. You must sign the form knowing that the information you give is true.

Tips for completing a Complaint form


- Please provide full name and contact information for the complainant. The complainant must be available to answer questions about the complaint or grievance.
- Please describe in detail the circumstances of the complaint or grievance. Provide the location of the complaint, names of individuals involved, actions taken, and what is believed to be the electoral offence.
- If there are witnesses, the witness(es)' name and accurate phone numbers must be provided.
- If you have evidence, you must submit it with this form. Submission of evidence or information after the form is submitted will be rejected and will not be used to support your complaint or grievance.

What will happen next

- Your complaint form will be reviewed by the SoE.
- A decision will be delivered in writing to you.
- Political Parties and Candidates may appeal this decision to the Electoral Commission. An Appeal form may be obtained from the FEO or the FEO website (www.feo.org.fj).

Notes

[illegible]





Contact us

Phone: +679 331 6225 | **Fax:** +679 331 6026

Email: info@feo.org.fj | **Web:** www.feo.org.fj

Facebook: @Fijianelectionsoffice | **Twitter:** @OfficialFEO

HEADQUARTERS

59-63 High Street, Toorak, Suva.

P. O. Box 2528, Government Buildings, Suva.

VOTER SERVICES CENTRE

Shop 10, GPO Building, 10 Thomson Street, Suva.

P. O. Box 2528, Government Buildings, Suva.

LAUTOKA OFFICE

36 Vitogo Parade, Lautoka.

P. O. Box 2528, Government Buildings, Suva.

LABASA OFFICE

Bashir Building, Vakamasisuasua,

Nasekula Rd, Labasa.

ISBN 978-982-9176-14-1



9 789829 176141